

कार्यालय:—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

॥ संक्षिप्त विज्ञापन ॥

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2023 संध्या 5.00 बजे तक
(अवकाश के दिन भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।)

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों (वाटरमैन, चौकीदार, फर्शा, माली, स्वीपर) के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पदों का आरक्षण विवरण															
			अनुसूचित जन जाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्ता	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्ता	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्ता	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्ता	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन-3, चौकीदार-3, फर्शा-4, माली-4, स्वीपर-4)	18	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	10	3	0	0
	योग	18	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	10	3	0	0

- (2) विज्ञापित पदों की आवश्यक अर्हताएं, आयु सीमा, निर्देश आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/durg> में विस्तृत विज्ञापन एवं जानकारी देखी जा सकती है।
- (3) उपर्युक्त पद हेतु आवेदकों की अर्हता निर्धारण के लिए उच्चतर आयु एवं आयु में छूट की गणना की निर्धारित तिथि 1 जनवरी 2023 है, जिसके संदर्भ में ही आयु की गणना की जाएगी।
- (4) ऑफलाईन आवेदन दिनांक 07.07.2023 से 31.07.2023 की संध्या 5.00 बजे तक इस कार्यालय में रखे **झाप बॉक्स में डालकर** प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (5) आवेदक, उपरोक्त पदों हेतु कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग के विज्ञापन क्रमांक 364 दिनांक 07.07.2023 में उल्लेखित कंडिकाओं के अनुसार ही ऑफलाईन आवेदन करें।

अध्यक्ष
भर्ती/चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय:—प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

॥ संक्षिप्त विज्ञापन ॥

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2023 संध्या 5.00 बजे तक
(अवकाश के दिन भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।)

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं भृत्य/फर्राश के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पदों का आरक्षण विवरण															
			अनुसूचित जन जाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सहायक ग्रेड-3	7	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
2	वाहन चालक	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3	आदेशिका वाहक	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4	भृत्य/फर्राश	8	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0
	योग	21	2	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	10	2	0	0

- (2) विज्ञापित पदों की आवश्यक अर्हताएं, आयु सीमा, निर्देश आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय, दुर्ग की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/durg> में विस्तृत विज्ञापन एवं जानकारी देखी जा सकती है।
- (3) उपर्युक्त पद हेतु आवेदकों की अर्हता निर्धारण के लिए उच्चतर आयु एवं आयु में छूट की गणना की निर्धारित तिथि 1 जनवरी 2023 है, जिसके संदर्भ में ही आयु की गणना की जाएगी।
- (4) ऑफलाइन आवेदन दिनांक 07.07.2023 से 31.07.2023 की संध्या 5.00 बजे तक इस कार्यालय में रखे झाप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (5) आवेदक, उपरोक्त पदों हेतु कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग के विज्ञापन क्रमांक 364 दिनांक 07.07.2023 में उल्लेखित कंडिकाओं के अनुसार ही ऑफलाइन आवेदन करें।

अध्यक्ष
भर्ती/चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)